बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–: : आदेश : :–

आदेश सं०–27/परि0–06–77/2025–सा0प्र0..............पटना–15, दिनांक...............

श्री मासुम अंसारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–762/24, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया के विरूद्ध श्री अमर बाबू प्रसाद द्वारा इस विभाग को परिवाद पत्र समर्पित किया गया। इस विभाग के अनुरोध पर परिवादी द्वारा शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया।

विभागीय पत्रांक–24073 दिनांक–29.12.2025 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण से उक्त परिवाद पत्र में की गयी शिकायतों की विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–108, दिनांक–30.03.2026 द्वारा इस विभाग को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, परिवाद पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच अपर समाहर्ता–सह–लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया से कराई गई थी, जिन्होंने अपने पत्रांक–154, दिनांक 16.03.2026 द्वारा प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, बेतिया को उपलब्ध कराया।

उक्त जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि श्री प्रसाद ने अंचलाधिकारी, नौतन को परिर्माजन हेतु निबंधित डाक से भेजे गये आवेदन पर अंचलाधिकारी, नौतन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का परिवाद अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया सदर के पास दर्ज कराया गया था, जिसका अनन्य संख्या–501310129102504877 है।

अनुमडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा पारित किये गये अंतिम आदेश से असंतोष की स्थिति में श्री प्रसाद द्वारा श्री मासूम अंसारी के विरूद्ध शिकायत किया गया। समर्पित शिकायत पत्र में अंकित शिकायत पर जॉच के क्रम में आवेदक को इस कार्यालय के ज्ञापांक 112 दिनांक 20.02.2026 द्वारा नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष दिनांक 23.02.2026 को रखने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में निर्धारित तिथि को शिकायतकर्ता स्वंय उपस्थित हुए एवं लिखित रूप से दिया कि मैंने सामान्य प्रशासन विभाग में शपथ पत्र के साथ पदाधिकारी के संबंध में शिकायत दर्ज किया हूँ इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 अंतर्गत राजस्व विभाग के तहत सुनवाई योग्य विषय सूची में परिमार्जन से संबंधित शिकायत पॉजिटिव– निगेटिव से भिन्न मामले अंतर्गत है जिस पर सुनवाई का अधिकार

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नही है। परिमार्जन से संबंधित शिकायत की सुनवाई संबंधित अंचल के द्वारा नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अपर समाहर्ता के यहाँ अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान है।

श्री मासूम अंसारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया सदर के द्वारा सुझाव के साथ ससमय पारित आदेश विभागीय (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सासाईटी, बिहार, पटना) नियमों/दिशानिर्देश के अनुसार है। आवेदक के परिमार्जन से संबधित शिकायत पर समुचित कार्रवाई भूमि सुधार उप समाहर्ता/अपर समाहर्ता के स्तर से ही की जा सकती है।

प्राप्त परिवाद पत्र एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मासुम अंसारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–762/24, तत्कालीन अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/–

(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–27/परि0–06–77/2025–सा0प्र0 7525 **पटना–15, दिनांक** 29.4.26

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/श्री मासुम अंसारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–762/24, तत्कालीन, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया/श्री अमर बाबू प्रसाद, पिता स्व0 जगनारायण प्रसाद, पत्राचार का पता–निमा बाजार बेतिया, पूर्व गेट नियर मस्जिद, पोस्ट बेतिया प्रतिष्ठान रस्सी दुकान नौतन अनुमण्डल बेतिया, जिला–पश्चिम चम्पारण, मो0 9931635128/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

27.04.26

सरकार के अवर सचिव।